राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एनएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 42( )/NHM/RBSK/2016/438 Date:-09|02|2016

परिपत्र

वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित मोबाईल हैल्थ टीमों द्वारा बडी संख्या में ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जिनको उपचार हेतु ब्लॉक/जिला/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय स्तर पर भेजा जा रहा/जाना है। ऐसे बच्चों के उपचार हेतुं राज्य सरकार कटिबद्ध है।

उच्चतर संस्थानों में उपचार हेतु चिन्हित बच्चों में पाई गई बीमारियों में अधिकतर ऑख, कान, दांत, एनिमिया, चर्म रोग से संबंधित है जिनका उपचार ब्लॉक स्तर पर ही कैम्प एप्रोच के माध्यम से करवाया जाना है। इस बाबत प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों का दायित्व निर्धारण कर निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

- जोन स्तर पर संयुक्त निदेशक, समस्त सम्भाग चि0 स्वा0 एवं प0 क0 विभाग को अपने क्षेत्र के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षक नियुक्त किया जाता है।
- जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत डेजीगनेटेड अधिकारी होंगे व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जिला नोडल अधिकारी होंगे।
- खण्ड स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी होंगे।
- जिलों में नियुक्त अतिरिक्त नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी/ डीईआईसी मैनेजर/साइक्लोजिस्ट पूर्व की भांति मोबाइल टीम का संचालन तथा रेफर किये गये बच्चों की सूचना उपरोक्त अधिकारियों को उपलब्ध करवायेगें व उनसे समन्वय स्थापित करते हुए केम्प प्लान व केम्प आयोजित करेंगे।

संयुक्त निदेशक जोन

संयुक्त निदेशक जोन अपने सम्बंधि सम्भाग के जिलों में कार्यरत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं नोडल/सहायक नोडल अधिकारी /सहायक नोडल अधिकारी/डीईआईसी मैनेजर/साइक्लोजिस्ट आरबीएसके के सुचारू संचालन हेतु साथ आगामी 5 दिवस में बैठक आयोजित कर ऑख, कान, दांत, एनिमिया एवं त्वचा से संबंधित सामान्य बीमारियों से चिन्हित बच्चों के उपचार हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगे तथा तिथीवार सीएचसी/जिला स्तर पर कैम्प का आयोजन कर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कैम्प हेतु नोमिनेट करेंगे। किसी जिले में उक्त विशेषज्ञता के चिकित्सकों की अनुपलब्धता की स्थिति में जोन के अन्य जिलों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रस्तावित कैम्पों में नामजद कर कैम्प आयोजन किया जा सकेगा। इन कैम्पो में चिन्हित बच्चों कों लाने की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

कैम्प आयोजन हेतु दिशा निर्देश

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर नेत्र रोग, ईएनटी, शिशु रोग, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र सहायक एवं लेब टेक्नीशियन की उपलब्धता निश्चित करते हुए जिले में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य

Email ID :- rbsk.raj@gmail.com

केन्द्र/खण्ड/पीएचसी/जिला स्तर पर विशेषज्ञ शिविर कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार कर संयुक्त निदेशक जोन को भेजेंगे।

2. सभी बीसीएमओ पीएचसी सेक्टर बैठक आयोजित करेंगे व वहां उपस्थित सभी एएनएम, आशा वर्कर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनसे संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/खण्ड/जिला पर आयोजित आरबीएसके विशेषज्ञ शिविर दिनांक व समय की सूचना से अवगत करवायेंगे तथा निर्देशित करेंगे की सभी मोबाइल हैल्थ टीम प्रस्तावित कैम्पों में उपचार हेतु अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. पीएचसी इन्चार्ज की जिम्मेवारी होगी की उनके क्षेत्र के सभी आरबीएसके चिन्हित बच्चे निर्धारित केम्प स्थल पर पूर्व निश्चित दिनांक को उपस्थिति दर्ज करावें। इस बाबत सूचना सभी विधालयों व आंगनबाडी केन्द्रों में पूर्व में ही पहुँचाई जावें व इसमें एएनएम व आशा की पूरी सहायता ली जाए।
4. प्रत्येक बीसीएमओ शिविर पूर्व सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों से इस बाबत रोजाना फीडबैक लेंगे तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विशेषज्ञ चिकित्सक दल को शिविर स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे तथा सभी विशेषज्ञ चिकित्सक इन केम्पों में अपनी सेवाये देंगे।
6. प्रत्येक विशेषज्ञ चिकित्सक जांच हेतु आवश्यक उपकरण/संसाधन अपने साथ लेकर कैम्प स्थल पर उपस्थित होंगे।
7. कैम्प में प्रत्येक विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार योग्य बच्चों का मौके पर ही उपचार करेंगे तथा जिन बच्चों का उपचार ब्लाक स्तर पर संभव नहीं होगा, के बाबत उपचार किस स्तर पर होना है (जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज स्तर) की लिस्ट जिला व मेडिकल कॉलेज स्तर की अलग–2 बनायेंगे तथा नोडल अधिकारी, आरबीएसके/ब्लॉक सीएमओ को उपलब्ध करवायेंगे।
8. सभी विशेषज्ञ चिकित्सक शिविर स्थल पर समय पर उपस्थित रहेंगे। जिन बच्चों का निदान/उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्भव है इन्हें उपचार देंगे व इसके बाद रेफरल कार्ड में इंद्राज कर एक प्रति बीसीएमओ/एक प्रति सीएमएचओ व एक प्रति रेफरल योग्य बच्चों को देंगे। बीसीएमओ उच्च रेफरल संस्थान हेतु रेफरल सभी बच्चों की प्रतियां सीएमएचओ/जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके/अति0 जिला नोडल अधिकारी, आरबीएसके को जमा करवायेंगे।
9. बीसीएमओ शिविर समाप्ति के बाद उसी दिन सायं रिपोर्ट तैयार कर सीएमएचओ/जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके/अति0 जिला नोडल अधिकारी, आरबीएसके को प्रेषित करेंगे।
10. जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके/अति0 जिला नोडल अधिकारी, आरबीएसके/सहायक नोडल अधिकारी, आरबीएसके इन शिविरों के रेफरल बच्चों की छंटनी कर संबंधित उच्च रेफरल संस्थान को सूचित करेंगे व प्रत्येक रेफर्ड बच्चे हेतु Appointment लेकर Appointment दिनांक की सूचना बीसीएमओ के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को पहुँचायेंगे व उसके पूर्ण ईलाज तक उससे सम्पर्क बनाये रखेंगे। यह सुनिश्चित किया जाये की आरबीएसके के तहत सभी बच्चों को पूर्ण निदान/उपचार दिलाया जाये।
11. प्रत्येक चिकित्सक दल में बीमारियों के अनुसार चिकित्सकों की उपस्थिति संयुक्त निदेशक/सीएमएचओ/बीसीएमओ आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करेंगें।
12. कैम्प आयोजन से पूर्व रेफरल हेतु चिन्हित बच्चों की कम्प्यूटरराईजड लाईनलिस्ट तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की बच्चों को जिस उपचार की आवश्यकता है उसको वह उपचार मिला या नहीं तथा केम्प का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

Email ID :- rbsk.raj@gmail.com

13. कैम्प हेतु आवश्यक औषधि, आयरन गोलियां एवं विटामिन–ए घोल कैम्प वाले चिकित्सा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। अतः चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि संस्था में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो। रूटीन में भी विटामिन/आयरन गोली वितरण संबधी कार्य सब सेन्टर /पीएचसी/सीएचसी पर जारी रह सकतें है।
14. कैम्प में आने वाले बच्चों एवं उनके परिजनों हेतु बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था की जावें।
15. आरबीएसके स्क्रींनिंग केम्प हेतु सभी जिलों को राशि रू0 25000/– प्रति केम्प की दर से पूर्व में जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 348 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा जारी कि जा चुकी है। जिसे प्रतिकेम्प निम्नानुसार खर्च किया जा सकता है :–

क्र0 सं0	राशि	विवरण
1.	5000	मोबिलिटी सपोर्ट (चिकित्सक व स्टाफ यदि आवश्यक हो तो)
2.	3000	माइकिंग, आईईसी, बैनर, पोस्टर, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग, स्टशनरी सामग्री आदि
3.	5000	टेन्ट (टेबल, कुर्सीयॉ, दरी व अन्य)
4.	4000	चाय, पानी, नाश्ता, बच्चो के लिये बिस्किट/फल, आदि
5.	6000	आवश्यक दवाईयॉ (जो निःशुल्क दवा योजना में नहीं आ रही हो)
6.	2000	अन्य आवश्यकतानुसार
कुल	25000	

16. आदर्श केम्प स्थल का नक्शा सुलभ सन्दर्भ हेतु भिजवाया जा रहा है जिसके अनुसार केम्प का आयोजन करें।

रेफरल ट्रांसपोर्ट :–

उप केन्द्र/प्रा0केन्द्र से सा0स्वा0 केन्द्र तक रेफरल हेतु 104 वाहन/बेस ऐम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकता है। खण्ड पर मोबाइल हैल्थ टीम को उपलब्ध करवाये गये वाहन को बच्चो के केम्प स्थल तक रेफरल ट्रान्सपोर्ट के लिये प्रयोग किया जा सकेगा।

ध्यान रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं की सूची में है। अतः किसी भी स्तर के अधिकारी/कार्मिक द्वारा इस कार्यक्रम में पर्याप्त रूचि का अभाव/असहयोग कि सूचना प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

परिपत्र को पूर्ण महत्व देते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

विशिष्ट शासन सचिव
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 व
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक : एनएचएम/आरबीएसकें/2016 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच)

Email ID :- rbsk.raj@gmail.com

4. कन्सलटेन्ट, आरबीएसके, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,समस्त जिले।
8. समस्त आरसीएचओ/जिला नोडल अधिकारी (आरबीएसके), समस्त जिले।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिलें।
10. डीईआईसी मेनेजर आरबीएसके, समस्त सम्भाग, राजस्थान।
11. प्रभारी, सर्वर रूम।

19.2.16

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

Email ID :- rbsk.raj@gmail.com

आरबीएसके आदर्श कैम्प स्थल